कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक 548 प्र.अ (विधि/स्था./लोस्वायावि/2024 भोपाल, दिनांक 29/11/2024

//आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 24625/2021 (खूब चंद रघुवंशी, बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 के परिपालन में श्री खूब चंद रघुवंशी सेवानिवृत्त कार्यभारित हेल्पर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला द्वारा माननीय न्यायालय से की गई मांग कि कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण के पूर्व उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप मे की गयी सेवाओं (दिनांक 06.10.1988 से दिनांक 26.04.2013 तक) को पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य किया जाकर, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवा के बदले नियमित पेंशन स्वीकृत की जावे, का निर्धारण किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत अवमानना याचिका कमांक 639/2023 में उल्लेखित तथ्यों के अनुक्रम में यह पाते हुए कि मुख्य अभियंता जबलपुर द्वारा प्रकरण में जारी किया गया निराकरण आदेश क्रमांक 1630 /मु.अ./स्था./लो.स्वा.यां.वि./2023 जबलपुर दिनांक 08.05.2023 मान न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2022 में निहित प्रश्नो का सारवान रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, उक्त आदेश को निरस्त करते हुए यह नवीन आदेश जारी किया जा रहा है।

(1) श्री खूब चंद रघुवंशी, सेवानिवृत्त कार्यभारित हेल्पर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दायर की गयी रिट पिटीशन क्र. 24625/2021 में दिनांक 29.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया था :-

> 3. The petitioners herein were recruited initially as daily wager as Time Keeper/Helper/Plumber etc. Their services were thereafter regularized. However, they have been denied pension as they have not rendered requisite 10 years of service after being regularized.
>
> 4. The only issue involved in the petitions is "whether the period served by the employees prior to their regularization as a daily wager employee should be counted for the purpose of pension or not ?"
>
> 5. The controversy involved in these petitions has already been settled in the case of Sunder Singh Vs. The State of Himachal Pradesh and others (Civil Appeal No.6309 of 2017), wherein the Supreme Court has held thus :-
>
>> 3. It is undisputed that the post-regularization an employee who had served for 10 years is entitled to pension for which work charge service is counted. Earlier, in terms of O.M. dated 14.05.1998, 50% of daily-wage service was also counted for pension after regularization but the rules have undergone change.
>>
>> 4.Since the appellants have not rendered the requisite 10 years of service they have been denied pension.
>>
>> 5. Even though strictly construing the Rules, the appellants may not be entitled to pension. However, reading the rules consistent with Articles 14, 38 and 39 of the Constitution of India and applying the doctrine of proportionate equality, we are of the view that they are

entitled to weightage of service rendered as daily wagers towards regular service for the purpose of pension.

6. Accordingly, we direct that w.e.f 01.01.2018, the appellants or other similarly placed Class-IV employees will be entitled to pension if they have been duly regularized and have been completed total eligible service for more than 10 years. Daily wage service of 5 years will be treated equal to one year of regular service for pension. If on that basis, their services are more than 8 years but less than 10 years, their service will be reckoned as ten years.

6. The Division Bench in the case of State of M.P. and others Vs. Sant Kumar Mishra, W.A. No.1184/2017, while relying on the decision passed in W.A. No. 179/2010, State of M.P. Vs. Ramachandra Singh, dated 05.08.2013 at Indore Bench has directed for counting of his past services under Rule 6(3) of 1979 Rules, which provides for counting of six years service rendered in the work charged establishment without interruption prior to regularization in the regular department. The S.L.P No(Civil) Diary No.29040/2020 filed against the decision of Division Bench was dismissed by the Supreme Court vide order dated 02.03.2021.

7. The ratio of aforesaid decisions will apply mutatis mutandis to the facts of the present cases also.

8. The respondents are directed to decide the case of petitioners for grant of pension on the basis of principle laid down in the aforestated decisions, considering the services rendered by them as Daily Wager for the purpose of grant of pension

(2) रिट पिटीशन क्र. 24625/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 में माननीय न्यायालय द्वारा जिन निर्णयों के प्रकाश में वादी कर्मचारी के दावे का निर्धारण करने हेतु आदेशित किया गया है, एनका विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा **"संत कुमार मिश्रा"** प्रकरण (W.A. No.1184/2017) में दिनांक 01.02.1979 से दिनांक 17.04.2013 तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत रहे तथा दिनांक 18.04.2013 को दैनिक वेतन भोगी से सेवा संविलियन के माध्यम से कार्यभारित स्थापना में चौकीदार के पद पर नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति को भर्ती नियम – म.प्र.(कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) नियम 1979 के अन्तर्गत मानते हुये तथा उसके द्वारा की गई दैनिक वेतन भोगी सेवाओं को आकस्मिकता निधि की सेवायें मानते हुयें, कर्मचारी की संपूर्ण सेवाओं को कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि की सेवायें निरूपित किया गया है तथा उसे सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर, दिनांक 01.01.2005 के पूर्व मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं में नियुक्त हुए कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों हेतु लागू – म.प्र.(कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अनुसार, सेवा के बदले नियमित पेंशन देने के आदेश दिये गये है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को मेरिट के आधार पर मान्य नहीं किया गया है बल्कि शासन की ओर से समुचित पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समय–सीमा में खारिज किया गया है।

(ii)माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुरेन्द्र सिंह विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य** में ऐसे कर्मचारियों के मामलें में जिनका संविलयन दैनिक वेतन भोगी सेवा से चतुर्थ श्रेणी की नियमित सेवा में किया गया है तथा जिन्होनें पेंशन नियम में पेंशन की पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण नहीं की है बल्कि 08 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवाएं पूर्ण

की है, कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई 05 वर्ष की सेवाओं को 01 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर मानते हुए, उसें पेंशन का लाभ देने के आदेश दिये गये है।

(3) रिट पिटीशन क्र. 24625/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 के परिपालन में श्री खूब चंद रघुवंशी सेवानिवृत्त कार्यभारित हेल्पर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला द्वारा की गई मांग कि कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण के पूर्व उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप मे की गयी सेवाओं (दिनांक 06.10.1988 से दिनांक 26.04.2013 तक) को पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य किया जाकर, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवा के बदले नियमित पेंशन स्वीकृत की जावे, का निर्धारण निम्नानुसार किया जा रहा है:–

(i) श्री खूबचंद रघुवंशी को दिनांक 06.10.1988 को दैनिक दर पर नियोजित किया गया था और उन्होने दिनांक 06.10.1988 से दिनांक 27.04.2013 तक दैनिक दर पर अपनी सेवाएं प्रदान कीं थी। म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी नीति के अंतर्गत उन्हे दिनांक 27.04.2013 को अंशदायी पेंशन योजना 2005 के अंतर्गत कार्यभारित स्थापना में हेल्पर के पद पर नियमित किया गया था तथा वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हुए थे।

(ii) श्री खूबचंद रघुवंशी और श्री संत कुमार मिश्रा (विभागीय कर्मचारी) के सेवा मामले से सम्बंधित तथ्यों में काफी हद तक समानता है फिर भी **"संत कुमार मिश्रा (सुप्रा)"** प्रकरण में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर श्री खूबचंद रघुवंशी को सामान लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योकि उक्त निर्णय, शासन की ओर से समुचित पक्ष समर्थन नहीं हो पाने के कारण पारित हुआ है तथा इसमें अनेक विसंगतिया परिलक्षित होती है, जो निम्नानुसार है –

(अ) माननीय न्यायालय ने **"संत कुमार मिश्रा(सुप्रा)"** प्रकरण में याचिकाकर्ता कर्मचारी से संबंधित विवाद पर निर्णय करते समय उसे शुरू से ही आकस्मिकता निधि के तहत एक दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त माना गया है और यह भी माना है कि वह एक आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी था जबकि वास्तविकता यह है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री संत कुमार मिश्रा को शुरू में दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के रूप में नियोजित किया गया था तथा सम्पूर्ण दैनिक वेतन भोगी सेवा अवधि के दौरान उनका वेतन बजट शीर्ष **"12–मजदूरी"** से किया जाता रहा था ना की आकस्मिकता निधि से। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों हेतु कोई स्वीकृत पद विद्यमान नहीं है ना ही किसी कर्मचारी का वेतन आकस्मिकता निधि से आहरित किया जाता है। विवरण निम्नानुसार है :–

(a) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीं, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों से काफी भिन्न होते हैं और वे **म.प्र. (कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के भाग 2(ए)** में दी गई **''आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों''** की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दैनिक दर के आधार पर नियोजित किया जाता है, लेकिन उन्हें मासिक आधार पर (30 दिनों का महीना मानते हुए) भुगतान किया जाता है । उनका वेतन आहरण बजट हेड **"12–मजदूरी" [Head–20-2215-01-001-9999-2714-V-12-(001 to 008)]** से किया जाता है, जो श्रमिकों के भुगतान के लिए बजट का एक विशिष्ट शीर्ष है। दूसरी ओर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी का वेतन आहरण कार्यालय कीं आकस्मिकता निधि यानी कार्यालय के संचालन के दौरान होने वाले आकस्मिक व्ययों हेतु प्राप्त बजट से किया जाता है।

(b) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एक निर्माण विभाग है तथा इस विभाग में केवल कार्यभारित स्थापना के अंतर्गत कुछ स्वीकृत पद विद्यमान हैं। कार्यभारित कर्मचारियों का वेतन आहरण विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराये गये बजट से किया जाता है।

(c)जहां तक सेवा नियमों का प्रश्न है, तो शासन द्वारा, कार्यभारित सेवाएं एवं आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों की सेवाएं नामक दो सेवाओं की प्रकृति में समानता को देखते हुए, इन दोनों सेवाओं को मिलाकर एक सेवा नियम बनाया गया है, जिसका नाम **म.प्र. (कार्यप्रभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारी) सेवा नियम–1979** है।

(d) दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों के बीच कुछ प्रमुख अंतर नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं –

Sr No.	Basis of difference	Daily wage service	Contingency paid service
1	Establishment	Daily wage services do not come under any framed and sanctioned establishment under Govt. of M.P.	For Contingency paid service a regular stablishment called- M.P. (Work charged & Contingency Paid Employees) is framed and sanctioned under Govt. of M.P Specific number of posts are created and sanctioned by Govt. of M.P., Department of Finance under different departments, as per need.
2	Appointment	Daily rated employees were appointed without following any government Service rules, regulations or legal procedure, without availability of any sanctioned substantive post	By direct recruitment as per Recruitment Rules or absorption of daily wage employees as per policy issued by Govt. of M.P., as a newly appointed employee from the date of joining in service. Such

		and without any appointment order of competent authority.	appointment or absorption will be by a valid appointment order of competent authority.
3	Service Rules	No service rules are made for Daily wage employees. They are covered by M.P. Industrial Employment (standard standing orders) Act 1961, Rules 1963	Separate service rules jointly made for work charged & Contingency paid employees are enacted by state government/ concerned department.
4	Enumeration	Initially Daily wage employees were kept on daily rate (wage) decided by Labor Commissioner, M.P. under the Minimum Wages Act, 1948.	Govt. of M.P., Department of Finance declares separate regular scale for each post of work charged & Contingency paid employees, for which they become entitled after three years of satisfactory services after induction.
5	Budget head of salary	Daily wage employee's salary is drawn from the budget provided under the **Head - "12–wages" – [20-2215-01-001-9999 -2714 -v-12- (001 to 008)]**.	Contingency paid employee's salary is drawn from the budget provided for office contingency.
6	Existence	Daily wage	In very few

		employees are kept in almost all the departments of state government.	departments like veterinary, tribal, mining etc. some posts are made for contingency paid employees. **No such post exists in Public health engineering department.**

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दैनिक वेतन भोगी सेवाओं और आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों की सेवाओं के बीच कोई संबंध नहीं है । स्थापित विधि के अनुसार दैनिक वेतन भोगी सेवाएं अवैधानिक सेवाएं है जबकि आकस्मिकता निधि से वेतन वाले कर्मचारियों की सेवाएं वैधानिक और पेंशन योग्य है।

(f) माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 3595–3612/1999 (सचिव, कर्णाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 10/04/2006 तथा एस.एल.पी. (सी) सी.सी.क्र. 3582/2017 (अरूण कुमार तिवारी विरूद्ध मनसुख लाल सराफ एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.4.2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियोजन पूर्णतः अवैधानिक है ।

(g) माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 3155/2023 (उदय प्रताप ठाकुर बनाम बिहार राज्य) में पारित निर्णय दिनांक 28.04.2023 तथा सिविल अपील क्रमांक 7068/2022 (सुनीता वर्मन बनाम कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड म.प्र.) में पारित निर्णय दिनांक 14.10. 2022 एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 226/2018 (म.प्र.शासन एवं अन्य बनाम इसरत मोहम्मद) में पारित निर्णय दिनांक 06.03.2019, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की रिट पिटीशन क्रमांक 1160/2015 (हीरालाल बनाम म..प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2018 तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 29982/2023 (अशोक कुमार शर्मा बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 19.12 2023 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिन्हें भर्ती की निर्धारित प्रकिया का पालन किये बिना तथा भर्ती नियमों के अनुरूप मूल स्वीकृत पदों पर भर्ती नहीं किया गया है, का नियोजन अवैधानिक होने के कारण उनकी दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवायें पेंशन योग्य नहीं है तथा ऐसी सेवायें पेशन प्रयोजन के लिये गणना में शामिल नहीं की जा सकती है।

(ब) माननीय न्यायालय ने **"संत कुमार मिश्रा (सुप्रा)"** प्रकरण में याचिकाकर्ता कर्मचारी से संबंधित विवाद पर निर्णय करते समय उसे भर्ती नियमों –म.प्र.(कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) नियम 1979 के अनुसार नियुक्त माना है जबकि याचिकाकर्ता कर्मचारी को शुरू में दैनिक वेतन भोगी चौकीदार के रूप में दैनिक दर पर नियोजित किया गया था। जहॉ तक इस विभाग का प्रश्न है तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बिना किसी भरती नियम अथवा किसी भरती प्रक्रिया के, बिना किसी शैक्षणिक अर्हता, बिना रिक्त पद और बिना नियुक्ति आदेश के नियोजित किया गया था। वर्ष 2013 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का संविलियन कार्यभारित स्थापना के रिक्त पदों पर करने के पूर्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभागीय कार्यभारित कर्मचारियों के लिए म.प्र. शासन के राजपत्र दिनांक 18 सितम्बर 2012 में अधिसूचना क्रमांक एफ 2–24–2010–1–34 प्रकाशित कर सेवा नियम –**''म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2012''** अधिनियमित किये गये थे । इन सेवा नियमों के अधिनियमित होने के पश्चात ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यभारित स्थापना में सीधी भर्ती के स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध **''म.प्र. लोक**

स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2012'' में निर्धारित वेतनमान में नियमित किया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री संत कुमार मिश्रा की नियुक्ति प्रारंभ में दैनिक वेतन भोगी के रूप में होने एवं बाद में **''म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2012'** के अन्तर्गत होने के कारण उन्हें भर्ती नियमों **–म.प्र.(कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) नियम 1979** के अनुसार नियुक्त कहा जाना वास्तविक एवं नियमानुसार नहीं है।

(स) माननीय न्यायालय ने **"संत कुमार मिश्रा(सुप्रा)"** प्रकरण में याचिकाकर्ता कर्मचारी से संबंधित विवाद पर निर्णय करते समय उसके कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण /संविलियन के समय जारी किये गए नियुक्ति आदेश एवं उसमे निहित शर्तो को संज्ञान में नहीं लिया है, जो विधि अनुकूल प्रतीत नहीं होता है । विवरण निम्नानुसार है –

(a) म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1/F-9/3/2003/Rules/Four/Bhopal दिनांक 13.04.2005 एवं समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 25.09.2006 के अनुक्रम में पूर्व से लागू पेंशन योजना अर्थात् नियमित स्थापना कर्मचारियों के लिए **''म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976''** एवं कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से वेतन प्राप्त कर्मचारियों के लिए ''**म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979''** के स्थान पर दिनांक 01.01.2005 के पश्चात राज्य की सेवाओं में नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिए नवीन पेंशन योजना अर्थात् **''अंशदायी पेंशन योजना 2005''** लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सेवा अवधि के आधार पर स्वतः पेंशन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है तथा कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान के आधार पर पेंशन लागू की गई है। इस योजना में पेंशन की राशि का निर्धारण कर्मचारी द्वारा किए गए अंशदान की राशि और इसकी अवधि के आधार पर किया जाता है तथा अंशदान की अवधि पेंशन की पात्रता के लिए कोई रुकावट नहीं बनती है, भले ही गणना के अनुसार पेंशन की राशि कितनी भी देय हो। इस नई पेंशन योजना के लागू होने के बाद, वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी का सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के स्थान पर उसके वेतन से केवल **''अंशदायी पेंशन योजना 2005''** के लिए अंशदान की कटौती शुरू की गयी थी ।

(b) वर्ष 2013 में , मुख्य अभियंता, जबलपुर द्वारा जारी नियुक्ति आदेशों के माध्यम से, पूर्व में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहे कर्मचारियों का, कार्यभारित स्थापना के रिक्त पदों पर संविलियन एवं नियमितीकरण किया गया था। नियुक्ति आदेश की कंडिका क्रमांक 10 के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि नियुक्त कर्मचारी म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 1/F-9/3/2003/Rules/Four/Bhopal दिनांक 13.04.2005 के अनुसार ''अंशदायी पेंशन योजना 2005'' के सदस्य माने जायेगे। संविलियन किये गए कर्मचारियों ने नियुक्ति आदेश की समस्त शर्तों को पूर्णतः स्वीकार करते हुए कार्यभारित संवर्ग की सेवा में शामिल होना स्वीकार किया था। वर्कचार्ज कैडर में अपने पूरे सेवाकाल के दौरान ऐसे कर्मचारियों ने नियुक्ति आदेश में उल्लेखित किसी भी सेवा शर्त पर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। इस प्रकार, नियुक्ति आदेश में उल्लेखित **अंशदायी पेंशन योजना 2005** के सदस्य माने जाने सम्बन्धी शर्त उनपर बंधनकारी प्रभाव रखती है तथा उनके द्वारा बाद में उस पर सवाल उठाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

(c)याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री संत कुमार मिश्रा के संबंध में वर्ष 2013 में जारी नियुक्ति आदेश में उसका दैनिक वेतन भोगी सेवा से संविलियन कार्यभारित स्थापना के रिक्त पद पर किये जाने का उल्लेख है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्मचारी पूर्व में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं था तथा नियुक्ति आदेश की प्रारंभिक पक्तियों में ही उसकी नियुक्ति

"म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यभारित एवं आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2012' के अन्तर्गत किये जाने का उल्लेख है। माननीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को संज्ञान में ही नहीं लिया गया है।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील क्रं. 3900–3901/2022 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राजमति देवी एव अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20 मई 2022** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जिन कर्मचारियों का नियमित सेवा में संविलियन राज्य शासन द्वारा नई पेंशन योजना यानि **अंशदायी पेंशन योजना** लागू करने के बाद किया गया है उनके मामलो में नई पेंशन योजना यानि **अंशदायी पेंशन योजना** ही लागू होगी। ऐसे कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के नियत दिनांक के पूर्व प्रभावशील रही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवा अवधि के आधार पर नियमित पेंशन के पात्र नहीं होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक 20 मई 2022 निम्नानुसार है :–

> *At the outset, it is required to be noted that the husband of respondent No. 1 came to be absorbed in the government service in the year 2014 w.e.f. 02.03.2009. Till 02.03.2009, he remained the employee of the Bihar Research Society, of which he was an employee and working. The Old Pension Rules, 1950 came to be abolished and the New Contributory Pension Scheme came to be introduced w.e.f. 01.09.2005. Under the New Contributory Pension Scheme, there is no provision for pension/family pension. As per the Scheme, all those who are appointed after 31.08.2005 shall be governed by the New Contributory Pension Scheme. Therefore, at the time when the husband of respondent No. 1, who died in the year 2013, was absorbed, the Old Pension Rules were abolished and the New Contributory Pension Scheme was in existence. As per the corrigendum issued in the appointment order and as per clause 6, the prior service rendered by the concerned employee prior to his absorption shall not be treated as a government service. Therefore, the husband of respondent No. 1 can be said to be a government servant and in government service w.e.f. 02.03.2009 only. Therefore, the husband of respondent No. 1 was governed by the New Contributory Pension Scheme under which there is no provision for the pension/family pension. Therefore, the High Court has committed a grave error in directing the appellant to pay the family pension to respondent No. 1 applying the Old Pension Rules, which were applicable prior to 31.08.2005. The aforesaid aspect has not been considered by the High Court at all and the learned Single Judge simply considered that on the death of the husband of respondent No. 1, who died in harness while in service, respondent No. 1 is entitled to the family pension under family pension scheme. However, the High Court has not at all considered that on coming into force the New Contributory Pension Scheme, no government employee*

appointed after 31.08.2005 shall be entitled to any other benefit except under the New Contributory Pension Scheme. In that view of the matter, respondent No. 1 shall not be entitled to the family pension under the Old Pension Rules, which were not applicable at the time when the husband of respondent No. 1 came to be absorbed in the government service w.e.f. 02.03.2009.

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसार श्री खूबचंद रघुवंशी का कार्यभारित पद पर संविलियन दिनांक 01.01.2005 के पश्चात यानि वर्ष 2013 में होने के कारण वे किसी भी स्थिति में पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवा के बदले नियमित पेंशन पाने के पात्र नहीं है ।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 24625 / 2021 (खूब चंद रघुवंशी, बनाम म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 के पैरा–3 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :–

3. The petitioners herein were recruited initially as daily wager as Time Keeper/Helper/Plumber etc. Their services were thereafter regularized. However, they have been denied pension as they have not rendered requisite 10 years of service after being regularized.

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय में उल्लेख है कि याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण के उपरांत 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कर्मचारी की कार्यभारित स्थापना में नियुक्ति दिनांक 01.01.2005 के पश्चात होने के कारण उस पर **''म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979''** अथवा उक्त नियम का कोई प्रावधान लागू ही नहीं होता है, इसलिये **''म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधी से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979''** में निहित प्रावधान जो पेंशन की पात्रता हेतु 10 वर्ष की कार्यभारित सेवा अनिवार्य बनाता है, इस मामले में कोई अर्थ नहीं रखता है। यदि याचिकाकर्ता कर्मचारी की कार्यभारित स्थापना में सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक भी होती तो भी वे पुरानी पेंशन योजना 1979 के अन्तर्गत सेवा के बदले में नियमित पेंशन प्राप्त करने के पात्र नही होते।

याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री खूबचंद रघुवंशी **अंशदायी पेंशन योजना 2005** के सदस्य थे एवं उन्हें उक्त योजना अनुसार पेंशन का भुगतान हो रहा है। **अंशदायी पेंशन योजना 2005** में अंशदान की अवधि पेंशन की पात्रता के लिए कोई बाधा नहीं बनती है। वर्ष 2013 में कार्यभारित स्थापना की सेवा में आने के कारण शासन द्वारा अधिनियमित प्रावधानों के अनुसार उनपर **अंशदायी पेंशन योजना 2005** ही लागू होती है।

(v) श्री खूबचंद रघुवंशी के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित न्यायदृष्टांत **सुरेन्द्र सिंह विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य** के अनुसार विचार करने पर यह पाया जाता है कि उक्त निर्णय मात्र पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मामले में ही लागू किया जा सकता है । ऊपर उल्लेखित न्याय दृष्टान्त **सिविल अपील कं. 3900–3901 / 2022 (बिहार राज्य एवं अन्य बनाम राजमति देवी एव अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 20 मई 2022** के अनुसार यह स्पष्ट है कि राज्य शासन द्वारा नवीन पेंशन योजना यानि **अंशदायी पेंशन योजना 2005** (जिसमे पेंशन की पात्रता हेतु सेवा अवधि कोई बाधा नहीं है) लागू करने के दशकों बाद नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री खूबचंद रघुवंशी के मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित यह निर्णय लागू नहीं होता है।

(vi) जहाँ तक प्रकरण में रिट याचिका दायर करने में हुये विलंब का प्रश्न है तो प्रकरण में Cause of Action दिनांक 18.04.2013 को ही उत्पन्न हो गया था जब याचिकाकर्ता कर्मचारी श्री खूबचंद रघुवंशी का संविलियन/नियमितीकरण कार्यभारित हैल्पर के पद पर किया गया था। उक्त आदेश में उन्हें अंशदायी पेंशन योजना का सदस्य निर्धारित किया गया था तथा उन पर म.प्र. (कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से देय कर्मचारी) पेंशन नियम 1979 के प्रावधान लागू नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त उनके संविलियन/नियमितीकरण के तत्काल बाद प्राप्त होने वाले वेतन से "सामान्य भविष्य निधि" की राशि के स्थान पर "अंशदायी पेंशन योजना" की राशि की कटौती आरंभ की गई थी। याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा तत्समय इन सब प्रावधानों/कार्यवाहियों पर ना तो कोई आपत्ति जताई गई और ना ही इनके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । याचिकाकर्ता कर्मचारी द्वारा सात वर्षो के सेवाकाल एवं सेवानिवृत्ति की दिनांक 30.06.2020 के करीब 01 वर्ष 03 माह पश्चात दिनांक 09.11.2021 को रिट याचिका दायर की गई है। उक्तानुसार रिट याचिका Cause of Action उत्पन्न होने के करीब **09** वर्षो उपरांत दायर की गई है जो अत्याधिक विलंब की श्रेणी में आती है। यदि इस अत्याधिक विलंब पर विचार किया जावे तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावा विलंब के आधार पर भी विचार योग्य नहीं है क्योंकि न्याय केवल सतर्क और जागरूक लोगों के लिये है, अपने अधिकारों को लेकर सोते रहने वाले लोगों के लिये नहीं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित कुछ न्यायदृष्टांत निम्नानुसार है –

In Board of Secondary Education of Assam v. Mohd. Sarifuz Zaman, reported in (2003) 12 SCC 408, the Apex Court has observed as follows:

12. Delay defeats discretion and loss of limitation destroys the remedy itself. Delay amounting to laches results in benefit of discretionary power being denied on principles of equity. Loss of limitation resulting into depriving of the remedy, is a principle based on public policy and utility and not equity alone.

In Chairman, U. P. Jal Nigam and another v. Jaswant Singh reported in AIR 2007 SC 924, the Apex Court, after considering a catena of decisions, on the aspect of delay, at Paragraph 13, held as follows:

13.Therefore, whenever it appears that the claimants lost time or while away and did not rise to the occasion in time for filing the writ petitions, then in such cases, the Court should be very slow in granting the relief to the incumbent. Secondly, it has also to be taken into consideration the question of acquiescence or waiver on the part of the incumbent whether other parties are going to be prejudiced if the relief is granted.

(vii) आपके द्वारा चाहे गये लाभ तत्समय लागू सेवा नियमों पर आधारित ना होकर कुछ न्यायालयीन निर्णयों पर आधारित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप अन्य कर्मचारियों के पक्ष में न्यायालयीन निर्णय पारित हो जाने के उपरांत उन न्यायालयीन निर्णयों पर आधारित लाभों को प्राप्त करने के लिये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गये है जबकि आपका प्रकरण स्पष्टतया "विलंब और अवधि बीत जाने" से संबंधित है ।

(viii)यदि कुछ अन्य कर्मचारियों ने रिट याचिका दायर करके कोई लाभ प्राप्त किया है तो आपको भी Cause Of Action उत्पन्न होने के 09 वर्षो के पश्चात रिट याचिका दायर करकें कुछ जागरूक और सतर्क व्यक्तियों के मामले में पारित निर्णय के आधार पर लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं आती हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कुछ न्याय दृष्टांत निम्नानुसार है :—

(1) In State of Karnataka & Ors. Vs. S.M. Kotrayya & Ors., (1996) 6 SCC 267, the Hon'ble Supreme Court rejected the contention that a petition

should be considered ignoring the delay and laches on the ground that he filed the petition just after coming to know of the relief granted by the Court in a similar case as the same cannot furnish a proper explanation for delay and laches. The Court observed that such a plea is wholly unjustified and cannot furnish any ground for ignoring delay and laches.

(2) Same view has been reiterated by the Hon'ble Supreme Court in Jagdish Lal & Ors. Vs. State of Haryana & Ors., AIR 1997 SC 2366, observing as under:-

> "Suffice it to state that appellants may be sleeping over their rights for long and elected to wake-up when they had impetus from Veerpal Chauhan and Ajit Singh's ratio.... desperate attempts of the appellants to re-do the seniority,held by them in various cadre.... are not amenable to the judicial review at this belated stage. The High Court, therefore, has rightly dismissed the writ petition on the ground of delay as well."

(3) In M/s. Roop Diamonds & Ors. Vs. Union of India & Ors., AIR 1989 SC 674, the Hon'ble Supreme Court considered a case where petitioner wanted to get the relief on the basis of the judgment of the Supreme Court wherein a particular law had been declared ultra vires. The Court rejected the petition on the ground of delay and latches observing as under:-

> "There is one more ground which basically sets the present case apart. Petitioners are re-agitating claims which they have not persued for several years. Petitioners were not vigilant but were content to be dormant and closeto sit on the fence till somebody else's case came to be decided."

(4) उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 24625/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2022 के परिपालन में श्री खूब चंद रघुवंशी सेवानिवृत्त कार्यभारित हेल्पर , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला द्वारा की गई मांग कि कार्यभारित स्थापना में नियमितीकरण के पूर्व उनके द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप मे की गयी सेवाओं (दिनांक 06.10.1988 से दिनांक 26.04.2013 तक) को पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य किया जाकर, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवा के बदले नियमित पेंशन स्वीकृत की जावे को, सम्पूर्ण विचारोपरांत ऊपर उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अमान्य किया जाता है ।

25.11.2022

प्रमुख अभियंता

पृ.क्र. ।।०२४ प्र.अ (विधि / स्था. / लोस्वायाविं / 2024 भोपाल, दिनांक २९।११।२०२४

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग जबलपुर मण्डल जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कार्यापालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग मंडला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री खूब चंद रघुवंशी सेवानिवृत्त कार्यभारित हेल्पर , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड मंडला की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आदेश नस्ती।

28.11.24

कृ **प्रमुख अभियंता**